सहायक कलेक्टर, सोजत

२२.५.२० पत्रावली पेश हुई पश्चात अज
तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त जो
शामिल मिसिल की गई अवलोकन की
गई ~~निर्णीत~~ प्रार्थना पत्र स्वीकार किया
जाता है निर्णय पृथक से लिखा जाकर
खुले इजलास सुनाया गया। पत्रा
वली [illegible] अनुसार होकर दाखिल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	प्रस्तुत हो। पुनरस्त: निर्णय पालना हेतु तहसीलदार ओसियां को तहरीर जारी हो सहायक कलेक्टर, ओसि

Scanned with CamScanner

उपस्थिति :- ...ारा 131 व 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

प्रार्थीगण की ओर से :- अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार मदेरणा

अप्रार्थीगण सख्या 01 पैरोकार सरकार उपस्थित

अप्रार्थीगण सख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र चौधरी

-::निर्णय :-

दिनॉक 22-5-2020

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया कि तहसील ओसियाँ के राजस्व ग्राम नेवरा के खसरा सख्या 1178 रकबा 26 बीघा 04 बिश्वा भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सख्या 02 की सयुक्त खातेदारी की व कब्जा काश्त सुदा भूमि आई हुई है उक्त खसरा की भूमि की का प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सख्या 02 के द्वारा आपसी सहमति से विभाजन किया गया जिसके आधार पर नामान्तरकरण सख्या 1971 स्वीकार किया गया तथा खाते अलग अलग दर्ज किए गए जिसमें प्रार्थीगण के हिस्से में भूमि खसरा सख्या 1178/2 रकबा 12 बीघा 18 बिश्वा दर्ज की गई तथा अप्रार्थी सख्या 02 के हिस्से में मूल खसरा सख्या 1178 रखा गया। उक्त नामान्तरकरण से ही प्रार्थीगण तथा अप्रार्थी सख्या 02 के हिस्से अलग अलग किए गए जिसकी पुश्त पर विभाजन में वर्णित अनुसार तरमीम की गई । वर्तमान में राजस्व रेकर्ड नक्शा टेस ऑनलाईन होने से अलग से खसरा सख्या 1179/2 दर्ज किया गया लेकिन उक्त नक्शा टेस के अनुसार तथा बटवाडे के साथ सलग्न नजरी नक्शे के अनुसार व बटवाडे की पुश्त के अनुसार तरमीम नही कर त्रुटिपूर्वक दर्ज किया गया इसलिए त्रुटि के कारण प्रार्थीगण अपने हिस्से की भूमि का

सहायक कलेक्टर, ओसियां

Scanned with CamScanner

भिन्न कार्य नही करवा पा रहे है। जबकि त्रुटिपूर्वक नक्शा बनाने का कोई सक्षम अधिकार का कोई आदेश नही था राजस्व कर्मचारियो के द्वारा मनमर्जी से नक्शा त्रुटिपूर्वक बना दिया गया । यदि उक्त ऑनलाईन नक्शा बटवारा के साथ सलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम किया जाता है तो अप्रार्थीगण के हितो पर कोई विपरीत प्रभाव नही होगा अन्त मे प्रार्थीगण द्वारा ईस्तुदआ चाही कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि तहसील ओसियाँ के राजस्व ग्राम मेरवा के खसरा सख्या 1178/2 की राजस्व रेकर्ड नक्शा टेस मे ऑनलाईन तरमीम दुरूस्त किया जाकर नामान्तरकरण सख्या 1971 की पुख्त तथा बटवारा के साथ सलग्न नजरी नक्शे के अनुसार किए जाने की ईस्तदुआ चाही।

प्रार्थीगण के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया । जिस पर अप्रार्थीगण सख्या 01 पैरोकार सरकार द्वारा जवाब पेश किया गया कि खसरा सख्या 1178 रकबा 28 बीघा 04 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सख्या 02 की खातेदारी की अवश्य ही आई हुई है उक्त भूमि का आपसी सहमति से विभाजन किया गया उक्त सहमति से विभाजन के आधार पर नामान्तरकरण सख्या 1971 स्वीकार किया गया व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के खाते अलग अलग दर्ज किए गए। तथा नक्शा टेस मे मौका स्थिति व कब्जा अनुसार तरमीम की हुई है। प्रार्थीगण की भूमि वर्तमान मे मौका पर कब्जा अनुसार तरमीम की हुई है। मौके पर आने जाने हेतु आपसी सहमति से रास्ता छोड़ा हुआ है रास्ते की भूमि अलग से राजस्व रेकर्ड मे दर्ज है। जबकि उक्त तरमीम को प्रार्थीगण ने त्रुटिपूर्वक बताया है जबकि मौका के अनुसार तरमीम सही प्रतीत होती है।

अप्रार्थीगण सख्या 02 के द्वारा जवाब इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण जिस प्रकार से मौके पर काबिज काश्त थे उसी अनुसार राजस्व रेकर्ड नक्शा टेस मे विभाजन किया गया है। तथा उक्त तरमीम सही है जिसके अनुसार राजस्व कर्मचारियो के द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नही हुई है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जे व खर्चे के खारिज फरमाया जावे।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई । अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए बताया कि उक्त भूमि का आपसी सहमति से विभाजन किया हुआ है। जो बटवारा की प्रति पेश की है। जिसके साथ सलग्न नजरी नक्शे के अनुसार ऑनलाईन तरमीम अंकित नही की गई है उक्त दोनो दस्तावेजो के अवलोकन हेतु निवेदन किया गया । तथा अन्त मे बताया कि मौके पर ऑनलाईन तरमीम के अनुसार काबिज नही होकर उभय पक्षकारान बटवारा के साथ सलग्न नजरी नक्शे के अनुसार काबिज काश्त है। इसलिए उक्त त्रुटिपूर्वक ऑनलाईन तरमीम को दुरूस्त किया जाकर विभाजन के साथ सलग्न नजरी नक्शे के अनुसार तरमीम की जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए बताया कि उक्त खसरान की भूमि का उभय पक्षकारान जिस प्रकार से काबिज काश्त थे उसी अनुसार राजस्व रेकर्ड नक्शा टेस मे तरमीम की गई है। जिसको किसी भी राजस्व कर्मचारियो के द्वारा त्रुटिपूर्वक नही की गई है बल्कि मौके पर कब्जे के अनुसार विभाजन किया गया है प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने तथा खर्चे से सरोबात करने की नियत से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। जिसे खारिज फरमाया जावे।

सहायक [illegible] अधिकारी

उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सख्या 02 के द्वारा आपसी सहमति से अप्रार्थीगण सख्या 01 के कार्यालय में दिनॉक 26.05.2015 को विभाजन किया गया तथा विभाजन के साथ कब्जे काश्त अनुसार नजरी नक्शा पेश किया गया जिस पर उभय पक्षकारान के हस्ताक्षर है। जिसको किसी भी पक्षकार द्वारा हस्ताक्षर करने से ईन्कार करने का नही बताया हैं तथा इसी बटवाडे के अनुसार अप्रार्थीगण सख्या 01 के द्वारा यह अंकित किया गया है। **मूल बटवाडा की छाया प्रति भेजकर लेख है कि राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार अमल दरामद करे।** इसी आदेशानुसार नामान्तरकरण सख्या 1971 स्वीकार किया गया तथा भूमि को अलग अलग बटटा नम्बरो में विभाजित किया गया तथा इसी नामान्तरकरण की पुश्त पर तरमीम अंकित की गई । इस प्रकार से जो ऑनलाईन तरमीम की गई है वह बटवाडा प्रस्ताव के साथ सलग्न नजरी नक्शे के अनुसार नही की गई जो प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत राजस्व रेकर्ड नक्शा में स्पष्टतया प्रमाणित है। अत उपरोक्त विवेचन के आधार प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अत प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का विरूद्व अप्रार्थीगण के स्वीकार किया जाता है व अप्रार्थीगण सख्या 01 को आदेश दिया जाता है। तहसील ओसियॉ के राजस्व ग्राम नेवरा के खसरा सख्या 1178/2 रकबा 12 बीघा 18 बिश्वा भूमि की ऑनलाईन तरमीम दुरूस्त की जाकर विभाजन प्रस्ताव दिनॉक 26.05.2015 के साथ सलग्न नजरी नक्शे के अनुसार की जावे । आदेश की पालना हेतु तहसीलदार ओसियॉ के तहरीर जारी हो।

(रतनलाल रेगर)
आर.ए.एस
सहायक कलेक्टर ओसियॉ

आदेश आज दिनॉक 22-9-20 को हस्ताक्षरित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतनलाल रेगर)
आर.ए.एस
सहायक कलेक्टर ओसियॉ

Scanned with CamScanner